



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124905

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5168 वर्ष

2026

जीतू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : कृपा शंकर यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0251/2026, धाराओं 137(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएसएस और धारा 9 बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन मंझोला, जिला मुरादाबाद में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फँसाया गया है। आगे कहा गया है कि आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचनादाता की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उससे कोर्ट मैरिज कर ली। आगे कहा गया है कि आवेदक का इन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे कहा गया है कि पीड़िता अपनी मर्जी से शामिल थी और विवेचना के दौरान दर्ज अपने बयानों में उसने खुद माना है कि उसके और आवेदक के बीच प्यार-मोहब्बत है और वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ गई थी और शादी की थी। आगे कहा गया है कि इस मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे कहा गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और जाँच/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1**

मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से तय करते हुए कहा है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित समय के लिए ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उचित मामलों में, यह मुकदमे के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि दी गई अग्रिम जमानत, आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे तक जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है की संभावना, और न्याय से बचने के लिए भागने जैसे देश छोड़कर चले जाना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम जमानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह मामला आवेदक को मुकदमे तक अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त है।

7. तदनुसार आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक-**जीतू** को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित परीक्षण न्यायालय/विवेचना अधिकारी जो भी लागू हो, के समक्ष पेश होना होगा। उसे परीक्षण खत्म होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानत पेश करे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

3 जून, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।